



## महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रु०वि० / सम्बद्धता / २०२० / ७५०-५४

दिनांक: 21.02.2020

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव  
राममूर्ति स्मारक कालेज ऑफ नर्सिंग,  
बरेली।

विषय— राममूर्ति स्मारक कालेज ऑफ नर्सिंग, बरेली को एम०एस०सी०(नर्सिंग) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के क्रम में इंपिडन नर्सिंग कौसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 20.11.2019 एवं उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइज्ज कौसिल, लखनऊ के पत्रांक सं० 19486 / 19 दिनांक 05.08.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 29.11.2019 की संस्तुति एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 द्वारा की गयी संस्तुति एवं कुलपति महोदय के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम सं० 7.18 (xiv) में नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रावधानित होने के फलस्वरूप राममूर्ति स्मारक कालेज ऑफ नर्सिंग, बरेली को एम०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में 20 सीट (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग—4 सीट, आब्सट्रिक एण्ड गाइनकोलाजिकल नर्सिंग—4 सीट, चाइल्ड हेल्थ (पीडियाट्रिक) नर्सिंग—4 सीट, मेन्टल हेल्थ (साइकेट्रिक) नर्सिंग—4 सीट एवं कम्प्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग—4 सीट) की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2019–20 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—

1. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा—37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था, शासनादेश सं० 2951 / सत्तर-२-२००३-१६(९२) / २००२ दिनांक 02 जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशो एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध के शासनादेश सं० 522 / सत्तर-२-२०१३-२(६५२) / २०१२ दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय को करना होगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था में दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
7. संस्था को प्रत्येक AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइज्ज कौसिल, लखनऊ एवं इंपिडन नर्सिंग कौसिल, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. शिक्षकों का नियुक्ति एवं अनुमोदन वांछित है।

भवदीया,

डा०(सुनीता पाण्डेय)

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर/विश्वविद्यालय वेबसाइट।

/

कुलसचिव